

२२-५-१९ वकील प्रार्थी उपर। बहस हेतु पत्रावली
दि० २०-५-१९ को पेश है।

२०-५-१९ वकील प्रार्थी उपर। बहस हेतु पत्रावली
दि० ११-६-१९ को पेश है।

११-६-१९ वकील प्रार्थी उपर। बहस हेतु
पत्रावली दि० १०-२-१९ को पेश है।


१०-७-१९ पत्रावली पेश हुई/वकील दाबी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेण्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उपबपक-
लणस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठसीन
आशंकरी अमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
दर में व्यस्त है/कम स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार विनांक..... २९-७-१९
को पेश हो।

W
रीडर

२९-७-१९ वकील प्रार्थी उपर। त. इ. प्रा०पत्र पर
बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील
प्रार्थीगण ने अपने त. इ. प्रा०पत्र के अनुरूप
बहस करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला दवा
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन
किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर
उपलब्ध आर्थिक का अवलोकन किया। भूमि
खण्ड नं० १५६, ३९८, ३५९ ग्राम अहमदपुर बादीगण
व प्रतिवादी नं० १ की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है
इसलिए हम अप्रार्थी नं० १ को उसके हिस्से की
भूमि के विक्रय से तो ~~क~~ रोचना उचित नहीं
समझते हैं परन्तु भूमि की रेकार्ड की यथास्थिति
बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला दवा
पाबंद करना हम उचित समझते हैं। अतः
प्रार्थीगण का प्रा०पत्र इसी प्रकार निर्णित किया
जाता है। भूमि खण्ड नं० १५६, ३९८, ३५९ ग्राम

अन्तिम
२-५-१९

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ज़ीख हुकम की क्रम में जारी
	<p>अहमदपुर के राजस्व अभिलेख की ताफैसलादत रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाने के अप्राथमिकता को जरूर अस्थाई भिषेधासा पाबंद किया जाता है। फावली के सलशामार देकर नम्बर से कम हो एवं बाद तक मौल मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">  उप निवा कलेक्टर गानपुर सिटी </p>	